

कंपनियां आपतकालीन ऑर्डर भी समय पर पूरा नहीं

अनुष्का कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारतीय हथियार बनाने वाली कंपनियों पर नाराजगी जताई है। सीडीएस जनरल चौहान ने कहा कि ये कंपनियां आपतकालीन खरीद के ऑर्डर को भी समय पर पूरा नहीं कर रही हैं। कंपनियां अपने उत्पादों में स्वदेशी सामानों के उपयोग का काफी बढ़ा चढ़ा कर दावा कर रही हैं। सेना को उम्मीद है कि डिफेंस कंपनियां अपने फायदे के कामों में थोड़ा राष्ट्रवाद और देशभक्ति भी दिखाएं। एक सेमिनार के दौरान सीडीएस ने ये बातें कहीं।

सीडीएस ने जोर देते हुए कहा कि घरेलू उद्योगों को अपनी स्वदेशी क्षमताओं के बारे में सच बताना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी सुधार एकतरफा नहीं किया जा सकता है। सीडीएस का कहना है

नई दिल्ली। शनिवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सशस्त्र बलों के एकीकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक सेना अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखेगी और एकीकृत कमान में उनकी सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया जाएगा।

एक कार्यक्रम में हाल में हुए ऑपरेशन सिंदूर का भी उदाहरण दिया। इस ऑपरेशन के दौरान तीनों सेनाओं- कि जब रक्षा कंपनियां ऑर्डर लेती हैं और समय पर डिलीवरी नहीं करती हैं, तो इससे देश की क्षमता को नुकसान का सामना करना पड़ता है।

रक्षा सुधार केवल सरकार या सेना की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें उतनी ही भूमिका उद्योगों की भी है। उन्होंने कहा कि रक्षा से जुड़े उद्योगों को अपनी स्वदेशी

थलसेना, नौसेना और वायुसेना ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। जनरल चौहान ने रक्षा थिंक-टैंक यूएसआइ द्वारा 14 एवं 15 नवंबर को आयोजित दो दिवसीय भारतीय सैन्य विरासत उत्सव में भाग लिया। तीनों सेनाओं में एकजुटता हासिल करने के सरकार के दृष्टिकोण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद की गई भारत की सैन्य कार्रवाई और इन सटीक हमलों से पहले के दिनों के कुछ उदाहरण दिए। क्षमताओं के बारे में सभी को बताना चाहिए।

सीडीएस ने स्पष्ट किया कि कंपनियां सेना को बीच में मझाहर में छोड़कर नहीं जा सकती हैं। जब कोई अनुबंध किया जाता है और उसको समय पर पूरा नहीं किया जाता, तो इससे देश का काफी अधिक नुकसान होता है।

गृह मंत्री उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे

विशाल कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपालों तथा चंडीगढ़ के प्रशासक के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। क्षेत्रीय परिषद में राष्ट्रीय महत्व के व्यापक मुद्दों पर चर्चा होगी, जिनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जांच और उनके शीघ्र निपटारे के लिए %फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों% का कार्यान्वयन शामिल हैं।

बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन और सहकारी प्रणाली को सुदृढ़ करने पर भी चर्चा होगी। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद भारत के पांच क्षेत्रीय परिषदों में से एक है, जिसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं।

तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची

विशाल कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। विधेयकों पर मंजूरी रोके जाने का विवाद लेकर एक बार फिर तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तमिलनाडु सरकार ने मूलवाद दाखिल कर मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट से छूट दिये जाने और सिर्फ 12वीं के अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश लिए जाने का उपबंध करने वाले विधेयक की मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा रोक लेने को चुनौती दी है।

राज्य सरकार ने राष्ट्रपति के विधेयक रोक लेने को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित विधेयक तमिलनाडु एडमीशन टु अंडरग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स बिल 2021 को संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा स्वतः मंजूर मान लिया जाए।

पूरे देश में मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा पास करनी पड़ती है और उसमें मिले अंकों की मेरिट के आधार पर ही पूरे देश में मेडिकल कालेजों में प्रवेश दिया जाता है।

तमिलनाडु सरकार की लंबे समय से मांग कि उसके यहां के छात्र-छात्राओं को नीट से छूट दे दी जाए और राज्य के छात्र-छात्राओं को 12वीं की परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाए।

इसी व्यवस्था को लागू करने के लिए तमिलनाडु विधानसभा ने तमिलनाडु एडमीशन टु अंडरग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स बिल 2021 पारित किया था। दाखिल मूलवाद में तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि इस मामले में राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर मंजूरी रोक लेने से संविधान का महत्वपूर्ण व्यवस्थागत मुद्दा उठ गया है।

बिहार में कांग्रेस का किला बुरी तरह से ध्वस्त

सपना कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस का किला बुरी तरह से ध्वस्त हुआ। पार्टी की दुर्गति ने एक गंभीर सवाल पैदा कर दिया है कि अब महागठबंधन का क्या होगा? कांग्रेस के खराब स्ट्राइक रेट की वजह से उन राज्यों में गठबंधन को लेकर सवाल उठने लगे हैं जहां आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने को हैं।

बिहार चुनाव के नतीजों का असर पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु तक देखने को मिल सकता है, जहां पर कांग्रेस पार्टी को एक ताकतवर गठबंधन की सख्त जरूरत है।

इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि बिहार में कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद बंगाल और तमिलनाडु में गठबंधन के सहयोगी नजरंदाज कर सकते हैं।

बिहार चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस की राज्य में मौजूदगी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी ने सिर्फ 6 सीटें जीती हैं, जबकि 61 सीटों पर उसने उम्मीदवार उतारे थे। इस तरह से देखा जाए तो पार्टी ने हर दस में से सिर्फ एक सीट जीत पाई। इस बार वोट शेयर 8.71 प्रतिशत पर अटक गया। पिछले चुनाव में यह वोट प्रतिशत 9.6 प्रतिशत था। हालांकि उस वक्त कांग्रेस ने 70 सीटों पर उम्मीदवार भी उतारे थे

और 19 सीटें जीती थीं। इससे पहले 2015 में पार्टी ने 15 सीटें जीती थीं।

पिछले कुछ दशकों से बिहार राजनीतिक रूप कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल भरा रहा है। अब राज्य में पार्टी का कोई मजबूत सामाजिक आधार नहीं बचा है और इसके पीछे का मुख्य कारण उसका खराब प्रदर्शन माना जा रहा है। ऐसे में अब सहयोगी दल भी सोचने लगे हैं कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन कितना फायदेमंद होगा? क्योंकि इस बार बिहार में महागठबंधन के कांग्रेस और आरजेडी जैसे प्रमुख दलों में तालमेल और विश्वास की कमी देखने को मिली।

अनुसूचित जाति के आरक्षण में

क्रीमी लेयर को बाहर रखा जाए

विशाल कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। रविवार को देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि वे अब भी इस बात के पक्ष में हैं कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर यानी आर्थिक-सामाजिक रूप से आगे बढ़ चुके लोगों को आरक्षण से बाहर रखा जाए। एक अधिकारी के बच्चों को गरीब खेत मजदूर के बच्चों के बराबर नहीं माना जा सकता।

जजों को आमतौर पर अपने फैसले समझाने की जरूरत नहीं होती और मेरे रिटायरमेंट में अब एक हफ्ता ही बचा है। छद्मदु ने कहा कि बीते वर्षों में महिलाओं की समानता और उनके अधिकारों को लेकर समाज में सकारात्मक बदलाव आया है।

उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम महाराष्ट्र के अमरावती में था और आखिरी कार्यक्रम भी आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुआ, यह उनके लिए भावनात्मक संयोग है। उन्होंने याद दिलाया कि 2024 में उन्होंने राज्यों को सुझाव दिया था कि स्त्र-स्त्र में भी क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें आरक्षण का लाभ न दिया जाए।

संविधान स्थिर नहीं है। डॉ. बीआर अंबेडकर चाहते थे कि संविधान समय के साथ बदले, विकसित हो और समाज की जरूरतों के मुताबिक काम करे। कुछ लोग संविधान में संशोधन की शक्तियों को ज्यादा बताते हैं, जबकि कुछ लोग इसे बहुत कठिन बताते हैं, दोनों तरफ की आलोचनाएं हमेशा से मौजूद रही हैं।

नागा साधु का वेश बना हाईवे

पर चालकों को रोककर लूट

सुरेंद्र रैकवार/एजेंसी, नई दिल्ली। उज्जैन से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां पर नागा साधु का वेश बनाकर हाईवे पर कार चालकों को रोककर लूटने वाला गिरोह पुलिस के हथ्थे चढ़ा है। जानकारी के अनुसार, इस गिरोह ने शाजापुर में लाल घाटी, घटिया थाना क्षेत्र में जैथल व भैरवगढ़ क्षेत्र में गरोठ हाईवे पर तीन वारदातों को अंजाम दिया है।

जानकारी होते ही पुलिस ने आरोपितों को पालखंडा में घेराबंदी कर रोक और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार, इनके कब्जे से पांच हजार रुपये व सोने की दो अंगूठियां बरामद की गई है।

पूरे प्रकरण में एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि मंसूर पुत्र बहादुर अली पटेल उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम कालियादेह भैरवगढ़ ने मंगलवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे डायल 112 पर सूचना दी कि सात अज्ञात बदमाशों द्वारा साधु के वेश में उसकी कार रोककर मारपीट एवं लूटपाट की गई। पुलिस अधिकारी के अनुसार, पटेल ने बताया कि वह अपनी पत्नी हीना बी व दो बच्चों के साथ अपनी कार क्रमांक एमपी 09 जेडवी से कालियादेह से होते हुए इंदौर जा रहा था। पंवासा ओवरब्रिज पार कर नीमनवासा मोड़ पर पहुंचने पर अचानक छह व्यक्ति जिनमें चार साधु के वेश में थे हाईवे पर कार के सामने आ गए।

जानकारी के अनुसार, गाड़ी जैसे ही रुकी, सभी ने कार को चारों ओर से घेर लिया। साधु का भेशधारी किए हुए बदमाशों ने कहा कि से व जेवर दे दो, नहीं तो भस्म कर देंगे। सभी आरोपितों ने पटेल

व उसकी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए जबरदस्ती सोने की दो अंगूठियां एवं पांच हजार रुपये लूट लिए थे। इसके बाद कार क्रमांक डीएल 2 सीएएक्स में बैठकर फरार हो गए। पीड़ित का कहना है कि भागने के दौरान उन्होंने धमकी दी कि किसी को अगर इस बारे में बताया, तो भस्म कर देंगे। हालांकि, घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस में तहरीर दी।

पुलिस हरकत में आई। इसके बाद नरवर टीआई बह्मू मंडलोई व टीम देवास रोड पर पालखंडा में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। सूचना मिलते ही घेराबंदी कर कार को घेरकर उसमें सवार सात बदमाशों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिलने पर नागझिरी व पंवासा पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई थी।

बदमाशों ने अपने नाम अलीनाथ पुत्र धर्मवीर नाथ उम्र 20 वर्ष निवासी मंगल कॉलोनी देहा बस्ती, करनाल रुरल, हरियाणा, मगन पुत्र दिलीप नाथ उम्र 19 वर्ष निवासी धर्मपुरा कालोनी, नजफगढ़, दिल्ली, अरुण नाथ पुत्र मीणा नाथ उम्र 25 वर्ष निवासी आरके कॉलोनी मुर्यल, जिला सोनीपत, हरियाणा, राजेश पुत्र ऋषिपाल नाथ उम्र 41 वर्ष निवासी धर्मपुरा एक्स नजफगढ़, साउथ वेस्ट दिल्ली, रूमालनाथ पुत्र फूलनाथ उम्र 60 वर्ष निवासी लाल मंदिर के पास, रंगपुरी पहाड़ी नाला कैप, थाना बसंतकुंज, दिल्ली, बिरजू नाथ पुत्र मिश्री नाथ, उम्र 45 वर्ष निवासी इन्द्रा विकास कालोनी, थाना मुखर्जी नगर, दिल्ली, राकेश कुमार पुत्र सुरेंद्र सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी नंद नगरी, साहिबाबाद बताए हैं।

जिलाधिकारी ने कंप्यूटर डेस्क पर बैठ किसानों की खतौनी निकाली और प्रक्रिया आसान हेतु दिए निर्देश

नितिन कुमार सिंह, 15/11 बागपत। किसानों की जमीन से जुड़े दस्तावेजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में बागपत तहसील परिसर ने आज एक बहुत ही प्रेरक और दुर्लभ दृश्य देखने को मिला जिसे देख किसान बोल उठे कि डीएम हो तो ऐसी।

तहसील दिवस की कार्यवाही सम्पन्न होने के बाद जिलाधिकारी अस्मिता लाल अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे खतौनी खिड़की की ओर बढ़ीं। जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की, स्वयं कंप्यूटर डेस्क पर बैठकर किसानों की खतौनी निकालनी शुरू कर दी और प्रक्रिया को आसान बनाए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

किसानों को अहसास कराया कि सरकार केवल योजनाएं ही नहीं बना रही बल्कि उन्हें ईमानदारी से लागू करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। एक-एक किसान का नाम पुकारकर उनके दस्तावेज जिलाधिकारी द्वारा अपने हाथों से सौंपना उन किसानों के लिए लंबे समय तक याद रहने वाला क्षण बन गया। किसान आपस में धीरे-धीरे चर्चा करते सुनाई दिए कि डीएम खुद खतौनी निकाल रही हैं।

कई किसानों ने कहा कि वह कई बार तहसील आ चुके हैं लेकिन ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा जहां जमीन और

खसरा-खतौनी जैसे मूलभूत अधिकार से जुड़े दस्तावेज उन्हें इतने सम्मान के साथ सरकारी स्तर पर प्रदान किए गए हैं।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने खतौनी खिड़की की संपूर्ण कार्यप्रणाली का अवलोकन किया और किसानों की समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से सुना। उन्होंने निर्देश दिया कि खतौनी के निर्धारित सेवा शुल्क 15 रुपए को बढ़े और स्पष्ट अक्षरों में बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए ताकि किसी भी किसान से अतिरिक्त शुल्क की मांग न की जा सके। शुल्क रजिस्टर को देखा जिसमें सभी रिकॉर्ड अंकित मिले।

सभी व्यवस्थाएं देख निर्देश दिए कि तहसील परिसर में किसानों के लिए बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी की सुविधा और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। जो किसान दूर दराज से अपनी खतौनी प्राप्त करने के लिए आते हैं उन्हें समय से और सुगमता से सुविधा प्राप्त हो और काउंटर पर लंबी कतार न लगे। खतौनी काउंटर पर जाले लगे देख सफाई और रंगाई पुताई के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने किसानों से बातचीत कर फीडबैक लिया एवं खतौनी, नामांतरण, सीमांकन, फसल बीमा तथा बैंक प्रक्रियाओं से जुड़ी अपनी परेशानियां साझा कीं। निरीक्षण के समय कुछ किसानों ने नामांतरण और खतौनी संशोधन में देरी की

शिकायत भी रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने मौके पर ही सम्बन्धित अधिकारियों को तलब किया तथा लंबित फाइलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद किसानों ने जिलाधिकारी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि वे पहली बार किसी जिलाधिकारी को इस प्रकार राजस्व खिड़की पर बैठकर खतौनी जारी करते देख रहे हैं। यह दृश्य हमने पहले कभी नहीं देखा। इससे भरोसा बढ़ा है कि प्रशासन सच में किसानों की समस्या समझना चाहता है।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि तहसील परिसर में किसी भी प्रकार की दलाल/बिचौलिया प्रथा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि कोई व्यक्ति किसानों से अवैध वसूली करता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या अवैध मांग की सूचना तुरंत प्रशासन तक पहुंचाएं।

बागपत तहसील में जिलाधिकारी का यह निरीक्षण जनकेन्द्रित सुशासन, जवाबदेही और संवेदनशील प्रशासन का एक जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया इस अवसर पर एसडीएम बागपत अमरचंद वर्मा उपस्थित रहे।

सेवानिवृत्ति का समय समाज को नई दिशा और प्रेरणादायक नेतृत्व प्रदान करने का अनमोल अवसर

नितिन कुमार सिंह, 15/11 बागपत। जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने बड़ौत में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, शाखा जनपद बागपत के द्विवार्षिक चतुर्थ अधिवेशन में सहभागिता की। विभिन्न विभागों—राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, ऊर्जा, सिंचाई, पंचायत राज एवं अन्य सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए वरिष्ठ नागरिकों एवं पेंशनर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार जनपद बागपत में कुल 8,187 पेंशनर्स पंजीकृत हैं, जिनका अनुभव और सेवा-समर्पण समाज के लिए अत्यधिक मूल्यवान है।

अपने संबोधन में जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने कहा कि सेवानिवृत्ति का समय समाज को नई दिशा और प्रेरणादायक नेतृत्व प्रदान करने का अनमोल अवसर है। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स प्रशासन और समाज के बीच एक मजबूत प्रेरक सेतु का कार्य कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित वरिष्ठ सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने ज्ञान, अनुभव और कार्य-नीति को नई पीढ़ी के साथ साझा करें तथा सामाजिक विकास, जन-कल्याण और सुशासन की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं।

अधिवेशन के दौरान वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनर्स से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी प्रदान

की गई। अधिकारियों ने वृद्धावस्था एवं पारिवारिक पेंशन लाभ, डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र के तहत ऑनलाइन सत्यापन, 70 वर्ष एवं अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हेतु आयुष्मान भारत कार्ड आदि की जानकारी साझा की।

कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने उपस्थित पेंशनर्स से यह भी आह्वान किया कि वे प्रदेश सरकार के समर्थ यूपी - विकसित यूपी 2047 अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने सुझाव भेजें। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण-शहरी परिवहन, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा तथा सामुदायिक नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने में वरिष्ठ पेंशनर्स का अनुभव एक अमूल्य पूंजी है और उनके सुझाव प्रगति की दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

कार्यक्रम के अंत में एसोसिएशन पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी अस्मिता लाल का हार्दिक आभार व्यक्त किया और कहा कि प्रशासन की सक्रिय भागीदारी से पेंशनर्स के सम्मान, सुविधाओं और कल्याणकारी सेवाओं में निरंतर सुधार हो रहा है। इस दौरान वरिष्ठ कोषाधिकारी मनीष कुमार सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी बड़ौत विजय कुमार सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

कोशिश करो

तैयार रहो

सेवा करो

श्रीराम बाजपेयी स्काउट-गाइड एसोसिएशन

पंजीकरण संख्या- S/703/2014-दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2014, संपूर्ण भारतवर्ष
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्काउट्स-गाइड्स जर्मनी से भी संबंध
प्रधान कार्यालय: निर्भय एनक्लेव, खेकड़ा (बागपत) उ.प्र. पिन-250101
Email:- subhashchand4@gmail.com, Mob- 09837749557- 0931242244



संपूर्ण भारतवर्ष में श्रीराम बाजपेयी स्काउट-गाइड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, स्काउट-गाइड प्रशिक्षण कैंप, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, सिलाई सेंटर हेतु संपर्क करें।
स्काउट गाइड संस्थाओं NCC, NSS से जुड़े भाई-बहनो जुड़ने को प्राथमिकता।

(सुभाष चंद कश्यप, राष्ट्रीय महासचिव, श्रीराम बाजपेयी स्काउट गाइड एसोसिएशन)

बागपत लोकसभा की जनता जनार्दन आशीर्वाद दे
तो एक बार फिर 2029 में निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा



सुभाष चंद कश्यप पूर्व सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा 2014

सम्पादकीय.....

प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे

सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर मंजूरी की समयसीमा तय करने पर इसी सप्ताह फैसला सुना सकती है। मामले पर सुनवाई करने वाली पीठ की अगुवाई करने वाले प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ऐसे में जस्टिस गवई के सेवानिवृत्त होने से पहले फैसला आएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सुप्रीम कोर्ट को प्रेसीडेंशियल रिफरेंस भेजकर 14 कानूनी सवालों पर कोर्ट से राय मांगी है। इन सवालों में मुख्य रूप से पूछा गया कि जब संविधान में विधेयकों पर मंजूरी को लेकर राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कोई समयसीमा तय नहीं है तो क्या कोर्ट उनके लिए समय सीमा तय कर सकता है।

कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसका पूरे देश और सभी राज्यों पर व्यापक प्रभाव होगा। क्योंकि फैसला संवैधानिक पदों पर बैठे राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों को स्पष्ट करने वाला होगा। इस प्रेसीडेंशियल रिफरेंस पर प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पीएस नरसिम्हा, और अतुल एस चंदुरकर की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दस दिनों तक लंबी सुनवाई करके 11 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ की अगुवाई करने वाले प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं ऐसे में उससे पहले फैसला आने की उम्मीद है। क्योंकि अगर किसी कारणवश फैसला नहीं सुनाया जाता है और पीठ के कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो नियम के मुताबिक पूरे मामले पर नये सिरे से नयी पीठ सुनवाई करती है।

अगर किसी मामले में सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रखा गया है तो पीठ के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त से पहले फैसला आता है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के विधेयकों पर मंजूरी की समयसीमा को लेकर मुद्दा तब उठा जब सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने गत अप्रैल में तमिलनाडु के मामले में फैसला दिया था जिसमें राज्य विधानसभा से पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर दी थी। इतना ही नहीं कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा रोके रखे गए तमिलनाडु के दस विधेयकों को मंजूर भी घोषित कर दिया था। यह पहला मौका था जबकि सीधे कोर्ट के आदेश से विधेयकों को मंजूरी मिली थी। इस फैसले के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रिफरेंस भेजकर 14 कानूनी सवालों पर कोर्ट की राय मांगी है।

कर्मल अशोक कुमार ने मरीजों को लाभकारी जानकारी दी

नितिन कुमार सिंह, बागपत। ईसीएचएस पॉलीक्लिनक्स बागपत ऑफिसर इंचार्ज लेफ्टिनेंट कर्मल अशोक कुमार तोमर ने बृहस्पतिवार को पॉलीक्लिनक्स में आए मरीजों को मरीजों से सम्बंधित लाभकारी जानकारी दी।

दर्जनों मरीजों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने बताया कि ईसीएचएस मरीजों को किसी भी अस्पताल में कोई भुगतान नहीं करना। अगर कोई अस्पताल पैसे मांगते हैं उसकी जानकारी पॉलीक्लिनक्स में आकर मुझे लिखित शिकायत दें। अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी पॉलीक्लिनक्स बागपत मरीज पूर्व सैनिकों के व्हाट्सएप ग्रुप में



शामिल हों। वहां आपको ईसीएचएस फंक्शन से संबंधित सभी जानकारी दैनिक आधार पर मिलेगी। ईएसएम और उनके आश्रित यदि वे 70 वर्ष से ऊपर हैं, तो ओपीडी के लिए सीधे किसी भी अस्पताल में जाएं। उन्हें ईसीएचएस आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि, प्रवेश के लिए उन्हें ओपीडी रेफरल आईडी के लिए पॉलीक्लिनक्स में आना है।

उन्होंने ईएसएम से अनुरोध किया कि वे अपने आश्रितों या रिश्तेदारों को, जो आपकी ओर से दवा के लिए ईसीएचएस पॉलीक्लिनक्स बागपत में आते हैं, अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षित करें।

पूर्व-चिकित्सा कर्मी अपना कार्ड ईसीएचएस बागपत में स्थानांतरित करा लें ताकि उन्हें निरंतर उपचार मिल सके। अन्यथा हम 15 दिन से अधिक और न ही हर महीने दवा दे पाएंगे। चिकित्सा उपचार के लिए प्रतिष्ठित अस्पताल में जाएं क्योंकि सेना ने हमें पूरे भारत में अच्छे अस्पताल दिए हैं और किसी भी अस्पताल एजेंट के बहकावे में न आएं।

राम मंदिर में सुरक्षा को ट्रस्ट व प्रशासन का बड़ा निर्णय

सोनू मेहरा, अयोध्या। राम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त करते हुए ट्रस्ट व प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। ध्वजारोहण समारोह में आने वाले किसी भी मेहमान को मोबाइल फोन लेकर मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ाने की सिफारिश की। ट्रस्ट और प्रशासन ने संयुक्त समीक्षा के बाद मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। 25 नवंबर को राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह आयोजित है। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल

समेत आठ हजार मेहमान शामिल होंगे। मेहमानों को भेजे गए आमंत्रण पत्र में बताया गया था कि 25 नवंबर को सभी को सुबह आठ से 10 बजे के भीतर मंदिर में प्रवेश करना होगा। वे अपने साथ मोबाइल रख सकते हैं, लेकिन अब इस निर्णय को बदल दिया गया है। परिसर में उनके भोजन, जलपान की व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से की जाएगी। समारोह को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। राम जन्मभूमि परिसर में अतिरिक्त मेटल डिटेक्टर, डॉग स्कॉड और सर्विलांस बढ़ाई जा रही है।

अधिकारियों के अनुसार बड़े आयोजन, बढ़ती भीड़ और राष्ट्रव्यापी सतर्कता को देखते हुए यह कदम आवश्यक था। मंदिर

के आसपास निगरानी के लिए नए कैमरे, हाईटेक कंट्रोल रूम और अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए जा रहे हैं। प्रशासन ने सभी आगंतुकों से अनुरोध किया है कि वे मोबाइल साथ न लाकर सहयोग करें।

केशरी दर्पण समाचार पत्र के ऑनलाइन पत्रकार बने।

www.kesharidarpan.com

पर रजिस्टर/लॉगिन करें।



सम्पादक सुभाष चंद
9837749557

एस.एम. कॉलेज चंदौसी प्रबंधन को भंग करने, उग्र विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 57 एवं 58 के तहत कार्यवाही की संस्तुति

सुरजीत कश्यप, संभल/चंदौसी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उच्च शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ने 11 सितंबर, 2025 को पत्र के माध्यम से एस.एम. कॉलेज चंदौसी के प्रबंधन को विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 57 एवं 58 के कार्यवाही करने की संस्तुति सहित आख्या उत्तर प्रदेश शासन को कर दी है। लेकिन अभी प्रबंधन तंत्र भांग नहीं है।

संस्तुति में शासन से अनुरोध किया है कि न्यायालय के आदेश के क्रम में प्रकरण पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु निर्णय लेना चाहे। यदि शासन स्पष्टीकरण से संतुष्ट न हो तो धारा 58 के अंतर्गत प्रबंधन तंत्र को भंग किए जाने का प्रावधान है।

बतादे कि एस.एम. कॉलेज, चंदौसी में प्रबंधन तंत्र एवं आयोग चयनित नियमित प्राचार्य के बीच है। प्रबंधन तंत्र और आयोग चयनित प्राचार्य के बीच एक दर्जन से भी अधिक मुकदमे जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में चल रहे हैं। मुकदमों की मार महाविद्यालय के कई शिक्षक और कर्मचारी भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से झेल रहे हैं।

आयोग चयनित प्राचार्य एवं अन्य पर लगाए गए आरोपों के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग पुलिस विभाग, विश्वविद्यालय, महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग,

मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, राजस्व परिषद आदि जगह मामले दर्ज हुए और लगभग सभी में आयोग जनित प्राचार्य को दोष मुक्त किया है।

दूसरी ओर, महाविद्यालय प्रबंधन तंत्र एवं सोसाइटी के खिलाफ अनेक शिकायतें हुईं जिनमें उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विशेष अंकेक्षण आदि तथा विश्वविद्यालय, शासन-प्रशासन द्वारा कई जांच जारी है। बताया जाता है कि महाविद्यालय प्रबंधन तंत्र किसी भी जांच को संपन्न नहीं होने दे रहा है।

प्रबंधन तंत्र लगभग हर आदेश के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर कर अपने खिलाफ होने वाली जांच से बचने का प्रयास कर रहा है। कोई भी कार्रवाई संपन्न नहीं हो पा रही है।

बर्खास्त किए गए प्राचार्य डॉ. दानवीर सिंह यादव, प्राध्यापक डॉ. प्रवीण कुमार डॉ. गीता शर्मा को भी नियमानुसार वेतन/भत्तों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। बताया जाता है कि आदेशों की लगातार अवहेलना हो रही है।

उच्च शिक्षा निदेशक ने उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव को प्रेषित पत्र के माध्यम से एस.एम. डिग्री कॉलेज, चंदौसी प्रबंधन तंत्र के विरुद्ध वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता के संदर्भ में गंभीर आरोप

लगाते हुए पत्र भेजा है। शिक्षा विभाग द्वारा वांछित सूचना का ऑपरेशन न कराने, वंचित दस्तावेजों को उपलब्ध न कराने, कालेज में उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई विशेष संप्रेषण टीम को कोई भी अभिलेख, साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने आदि सम्बन्धी आरोप शामिल हैं।

उच्च शिक्षा निदेशालय के निर्देश पर प्रकरण में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली को अपनी अध्यक्षता में समिति का गठन करते हुए जांच आख्या उपलब्ध कराए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे।

उक्त प्रदत्त निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली द्वारा आख्या उपलब्ध कराई गई है कि महाविद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा संबंधित कर्मिकों के वेतन/जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किए जाने वाले संबंधित आदेशों की अनवरत अहेलना करते हुए भुगतान किए जाने से इनकार किया जा रहा है। जांच समिति द्वारा जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाना नियमानुसार बताया है।

उच्च शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय के आदेशों की लगातार अवहेलना के कारण उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा उत्तर प्रदेश को प्रेषित पत्र में उल्लेख किया गया है कि महाविद्यालय की प्रबंधन समिति द्वारा विशेष संप्रेषण में अनवरत विभिन्न पत्रों के क्रम में अभिलेख प्रस्तुत न करना जो कि राज्य

विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा 40 उप धारा 1 से लेकर 6 के अंतर्गत बाध्यकारी है तथा समिति की स्थलीय जांच अवधि में सहयोग प्रदान न करते हुए न्यायालय में आयोजित रिट याचिका संख्या का उदाहरण देकर प्रकरण न्यायालय में से आच्छादित होने के कारण जांच से मना किया जाना समीचीन नहीं है।, उक्त याचिका में न्यायालय द्वारा विशेष सम्प्रेषण किए जाने में किसी प्रकार की रोक या स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है।

प्रकरण में क्षेत्रीय कार्यालय की जांच आख्या से भी महाविद्यालय द्वारा अनवरत प्रशासनिक आदेशों की भी अवहेलना की जा रही है। उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि कुलपति-गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद द्वारा जिलाधिकारी संभल की जांच रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन को इस महाविद्यालय के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा 58 के अंतर्गत प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किए जाने की संस्तुति की गई है।

शिक्षा जगत में महाविद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा शासन प्रशासन/उच्च शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय के आदेशों की लगातार अवहेलना के चलते हुए ही जहां शिक्षा जगत एवं क्षेत्र में शासन की

कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे, वही पीड़ितों को भी सभी जगह से क्लीन चिट मिलने के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है।

बिना पर्यवेक्षक के प्रबंधन समिति के चुनाव कराये जाने के कारण अभी तक विश्वविद्यालय से वर्तमान प्रबंधन समिति को अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। यह अनुमोदन एक वैध प्रबंधन समिति होने के लिए अनिवार्य बताया जाता है।

आयोग चयनित प्राचार्यों को एस.एम. कॉलेज, चंदौसी कभी भी रास नहीं आया। सभी को प्रबंधन तंत्र के सामने घुटने टेकने पड़े और उन्हें अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही कालेज छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा।

कालेज छोड़कर जाने वाले आयोग चयनित प्राचार्यों में डॉ. वीरेन्द्र सिंह, डॉ. आर.बी. रावल, डॉ. वकुल बंसल, डॉ. ऐ. के. गुप्ता शामिल हैं। आयोग से आये प्राचार्य डॉ. वकुल बंसल के साथ मारपीट एवं जान लेवा हमले के आरोप वर्तमान प्रबंधक एवं पूर्व प्रबंधक दोनों को ही जेल जाना पड़ा था।

वर्तमान में भी आयोग चयनित प्राचार्य डॉ. दानवीर सिंह यादव और कॉलेज प्रबंधन तंत्र के बीच विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके दुष्परिणाम विद्यार्थियों, अभिभावकों, स्टाफ आदि को भी भुगतने पड़ रहे हैं।

नोट: पत्र में छपे लेख, लेखकों के निजी विचार हैं, सम्पादक का इन लेखकों के विचारों से सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र बागपत होगा।

RNI. No. UPHIN/2010/36806, मालिक, मुद्रक, प्रकाशक सुभाष चन्द ने इण्डियन प्रेस, राजेन्द्र नगर, मेरठ से छपवाकर कार्यालय ग्राम वाजिदपुर, पोस्ट तहसील बडौत, जिला बागपत से प्रकाशित किया। सम्पादक: सुभाष चन्द, मो. 9837749557, प्रबन्धक सम्पादक: डा. प्रवीण कुमार, (किसी भी विवाद के लिए बागपत न्यायालय मान्य)